राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1756/2024

डॉ. विश्राम लाल बैरवा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय महाविद्यालय, करौली राजस्थान में कार्यरत है। अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय, करौली में प्राचार्य के पद पर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 06.10.2023 को राजकीय महाविद्यालय, करौली में कार्यग्रहण कर लिया था। उक्त आदेश के पश्चात आदेश दिनांक 07.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश 06.10.2023 में संशोधन करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन करौली से मण्डरायल में किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–2779/2023 डॉ. विश्राम लाल बैरवा बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की थी, जिसमें इस अधिकरण ने आदेश दिनांक 10.10.2023 पारित कर आलोच्य आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थी को करौली में पदस्थापित रखे जाने के आदेश दिये थे। अधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 11.10.2023 को कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित हुआ, परंतु अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी लगातार प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष कार्यग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ, पंरतु अपीलार्थी को अधिकरण के आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं करवाया गया, जिस पर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका संख्या

168/2023 दायर की। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने दिनांक 09.01.2024 को महाविद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया था। इसके उपरांत आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 30.01.2024 पारित कर अपीलार्थी को प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली का कार्यभार दिये जाने हेतु सुचित किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 30.01.2024 को प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 11.10.2023 से 30.01.2024 तक लगातार राजकीय महाविद्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित हुआ था, परंतु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.10.2023 से 30.01.2024 की अवधि का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है। उक्त अवधि के बीच अपीलार्थी लगातार कार्यग्रहण करने हेतु प्रत्यर्थीगण के समक्ष उपस्थित हुआ था, जिस पर प्रत्यर्थीगण ने उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया, जिसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के संबंध में विभागीय आदेश जारी होने के पश्चात अपीलार्थी ने नवीन स्थान पर उपस्थिति नहीं दी थी। जिस कारण अपीलार्थी द्वारा अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे दिवसों हेतु किसी भी प्रकार के अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता।
3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. उक्त प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय, करौली में प्राचार्य के पद पर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 06.10.2023 को राजकीय महाविद्यालय, करौली में कार्यग्रहण कर लिया था। उक्त आदेश के पश्चात आदेश दिनांक 07.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश 06.10.2023 में संशोधन करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन करौली से मण्डरायल में किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–2779/2023 डॉ. विश्राम लाल बैरवा बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की थी, जिसमें इस अधिकरण ने आदेश दिनांक 10.10.2023 पारित कर आलोच्य आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थी को करौली में पदस्थापित रखे जाने के आदेश दिये थे। अधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 11.10.2023

को कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित हुआ, परंतु अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश की अवहेलना करते हुए उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया, जबकि अपीलार्थी सदैव कार्यग्रहण करने के लिए तत्पर था। हमारे मत में जब अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया गया था, तब प्रत्यर्थी विभाग तब अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होने पर कार्यग्रहण करवाया जाना चाहिए था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.01.2024 के द्वारा प्राचार्य के पद पर कार्यभार दिया गया।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह मत है कि अपीलार्थी दिनांक 11.10.2023 से 30.01.2024 तक की मध्य अवधि के बीच कार्यग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर था और प्रत्यर्थीगण ने उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.10.2023 से 31.01.2024 के मध्य की अवधि में सभी प्रयोजनार्थ सेवा में मानते हुए उसे इस अवधि का समस्त वेतन एवं अन्य देय परिलाभ का भुगतान 1 माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष